

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान लखवीर सिंह आदि बनाम सतपाल गुप्ता

प्रकरण संख्या 09 / 2025 अन्तर्गत धारा 312 RTA

| दिनांक | आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज | नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए |
|----------------------------------|--|---|
| 13 ⁵ / ₂₅ | अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु सत्राय पाहा। 7:1 की अवधि आगामी पेशी तक बहाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23/05/2025 को पेश हो। | |
| 23 ⁰⁵ / ₂₅ | अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु सत्राय पाहा। 7:1 की अवधि आगामी पेशी तक बहाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/05/2025 को पेश हो। | |
| 30 ⁵ / ₂₅ | अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3/6/25 को पेश हो। | |
| 3 ⁶ / ₂₅ | अधिवक्तागण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण का मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA का विस्तारण हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थापी विवधात्ता दिनांक 28/03/25 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली विनोदित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल वफुद हो। | |



सहायक क्लर्क एवं फोन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)